वक़्फ़ की क़ानूनी प्रक्रियाः मुसलमानों के कल्याण के लिए या उन पर शासन करने के लिए

डा. सैयद ज़फ़र महमदू

वक़्फ़ बिल 2010 अब फिर केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों सम्बंधी मंत्रालय के पास है, राज्य सभा के इस निर्देश के साथ कि सेलेक्ट कमेटी की सिफ़ारिशों के अनुसार इस में संशोधन करके फिर से सदन में रखा जाए। अन्दर का समाचार यह है कि मंत्रालय ने इस पर अपना काम करके उसे क़ानून मंत्रालय के पास भेज दिया है। इस तरह एक बार फिर इन दोनों मंत्रालयों के लगभग आधा दर्जन नौकरशाहों के दरबार में भारत के 16 करोड़ मुसलमानों की पांच लाख वक़्फ़ सम्पत्तियों का फ़ैसला पहुंच गया है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं **Back to square one.** अर्थात सांप-सीढ़ी के लूडो गेम में जब खिलाडी 99 पर पहुंच कर सांप द्वारा डस लिया जाता है और लुढ़क कर फिर से पहली सीढ़ी पर पहुंच जाता है। मतलब यह कि बात जहां से शुरू हुई थी, वहीं पहुंच गयी है। होना तो यह चाहिए कि मुसलमानों की इस अति मूल्यवान सम्पत्ति के साथ सरकार जो मामला करने जा रही है उसे मुसलमानों से छिपाने के बजाए उनके सामने खुले रूप से लाए, संशोधित मसौदे के हर बिन्दु पर देश व्यापी चर्चा हो और मुसलमानों की इच्छा के अनुसार सरकार कार्य योजना बनाए।

यह भी इत्तेफ़ाक़ है कि यह दोनों मंत्रालय इस समय एक ही मंत्री के पास हैं। इस लिए दोनों मंत्रालयों के बीच इस सम्बंध में पूरी तरह सामंजस्य होना चाहिए। मंत्री महोदय को भी चाहिए कि वक़्फ़ बिल पर अपना समय लगाएं। उन्हें निजी रूप से यह जानकारी होनी चाहिए कि संयुक्त संसदीय समिति, सच्चर समिति तथा सेलेक्ट कमेटी तीनों ने वक़्फ़ के विभिन्न पहलुओं से सम्बंधित क्या क्या सिफ़ारिशें की हैं और उनमें से हर एक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस प्रतिक्रिया का आधार क्या है। जब वह इस मामले में पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तो इस मसौदे को अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट करके यह विज्ञापन जारी कर दें कि इस सम्बंध में जिस को जो कुछ कहना हो वह लिख कर छः हफ़्तों के अन्दर उक्त ई-मेल पर भेज दिया जाए। फिर मुसलमानों के फ़ीड बैक का बाक़ायदा अध्यन किया जाए। इस पर भी एक नोट तैयार किया जाए कि मुसलमानों की तरफ़ से क्या मुद्दे उठाए गए हैं और उन पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है तथा इस प्रतिक्रिया का आधार क्या है। फिर मंत्री जी इसकी गहन समीक्षा करें

और उस पर आवश्यक कार्रवाई कराएँ। इस पूरी प्रक्रिया की तफ़्सील भी वेब-साइट पर डाल दी जाए। तब संशोधित बिल का मसौदा सदन में दोबारा रखा जाए।

यह अवसर एसा है कि मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार को एक क़दम आगे ही बढ़ाना चाहिए ताकि मुसलमानों को लगे कि उनकी सामुदायिक सम्पत्ति को तबाही से बचाने के लिए और उसे सुरक्षित करने के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड रही है, एसा न लगे कि सरकार पर मुसलमानों को भरोसा नहीं है जबकि वह अपनी सम्पत्ति की बचाने के लिए चिंतित हैं। यहां यह बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वक़्फ़ मामलों का प्रबंध करना हमारी धर्मनिर्पेक्ष व्यवस्था में सरकार का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। वक़्फ़ क़ानून इस लिए बनाया गया कि सरकार वक़्फ़ व्यवस्था को बहतर और कारामद बनाने में मुसलमानों की सहायता करना चाहती थी। सिखों के गुरूद्वारों और ईसाइयों के गिरजों व अन्य कल्याणकारी सम्पत्तियों की व्यवस्था करना सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर है। लेकिन वक़्फ़ की व्यवस्था पूरी तरह सरकार के आधीन है। हालांकि वक़्फ़ प्रबंधन को भी मुसलमानों का आन्तरिक मामला माना जा सकता था, इसमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सिखों व ईसाइयों की धार्मिक सम्पत्तियों की अपेक्षा वक्फ़ सम्पत्तियों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी व्यवस्था के लिए देश व्यापी क़ानून की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि वक़्फ़ क़ानून का कोई एक भी अनुच्छेद अथवा धारा मुसलमानों की मंशा के विपरीत हो। अतः वक़्फ़ क़ानून में प्रस्तावित संशोधनों को मुसलमानों से छिपाना मुसलमानों के अन्दरूनी सामुदायिक मामलों में सरकारी कार्रवाई की पार्दर्शिता में कमी को इंगित करता है। बिल को संसद में दोबारा ले जाने से पहले बिल का संशोधित मसौदा मुसलमानों के सामने लाना सरकार का संवैधानिक, सामाजिक एंव नैतिक दायित्व है। एसा न करने से सरकार की तरफ़ से मुसलमानों के प्रति सरकार की नियत मे खोट का परिचायक हो सकता है।

वक़्फ़ से सम्बंधित जे.पी.सी तथा सच्चर समिति की रिपोर्टों में जो सिफ़ारिशें की गयी हैं उन में से बीस सिफ़ारिशों मई 2010 में लाए गए वक़्फ़ बिल में शामिल नहीं थीं। इस लिए राज्य सभा ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया। सेलेक्ट कमेटी ने दिसम्बर 2011 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन इस रिपोर्ट में भी जे.पी.सी. तथा सच्चर समिति द्वारा की गयी 14 सिफ़ारिशों की समीक्षा होने से रह गयी।

निजी सूत्रों से पता चला कि समय के अभाव और सदस्यों में विषय सम्बंधी कौशल न होने की वजह से मीटिंगों में अल्पसंख्यक मंत्रालय तथा क़ानून मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उठाई गयी आपत्तियों के जवाब तैयार नहीं हो सके। यह भी सोचने की बात है कि सेलेक्ट कमेटी में केवल राज्यसभा के 13 सदस्य थे। जबकि जे.पी.सी में दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा के कुल 30 सदस्य थे। तो क्या यह उचित है कि 13 सदस्यों वाली एक सदन की समिति की सिफ़ारिश पर तो सरकार विचार करे लेकिन 30 सद्सयों वाली संयुक्त समिति की सिफ़ारिशों की सरकार इस तरह अनदेखी करे कि उसका कोई उल्लेख भी न करे, न यह बताए कि उन्हें विचाराधीन क्यों न लाया गया। यह अनदेखी तो सरकार की तरफ़ से अधिकार हनन और सदन की अवमानना की श्रेणी में आती है।

अभी भी समय है, जल्दबाज़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। जे.पी.सी की रिपोर्ट 2008 में आई थी तथा सच्चर समिति की रिपोर्ट 2006 में। चार से छः वर्ष बीत चुके हैं। अगर चार, पांच महीने और लग जाएंगे तो आस्मान नहीं टूट पडेगा। लेकिन यदि संशौधित वक़्फ़ बिल भी मुसलमानों के हित के विरुद्ध होगा तो मुसलमान इस ग़लती को ग़लती नहीं, सोची समझी नीति मानेंगे और तब सम्बंधित गणमान्य लोगों को माफ़ करना मुसलमानों के लिए मुश्किल होगा। हां यदि इस बीच में प्रस्तावित संशोधित बिल मुसलमानों के सामने ले आया गया, इस पर खुली चर्चा के अवसर दिया गया और मुसलमानों की भावनाओं के अनुरूप संशोधित बिल का मसौदा संसद में लाया गया तो मुसलमान सरकार की नियत पर शक नहीं करेंगे। जगह की कमी की वजह से वक़्फ़ से सम्बंधित केवल तीन मुद्दों पर यहां चर्चा की जा रही है, तमाम मुद्दों को विस्तार के साथ देखने के लिए वेबसाइट www.wakfwatch.in को देखा जा सकता है।

जे.पी.सी वक़्फ़ तथा सच्चर समिति दोनों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा कि देश के 28 राज्य वक़्फ़ बोर्डों में चीफ़ एग्ज़ेक्यूटिव ऑफ़ीसर (सी.ई.ओ.) की पूर्णकालिक नियुक्ति के लिए वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारियों का अभाव रहता है क्यूंकि देश की अफ़सर शाही में मुसलमान 2.5 प्रतिशत से भी कम हैं। इसलिए ग़ैर अफ़सशाह लोगों को प्रायः सी.ई.ओ. बनाना पडता है जिन्हें अफ़सरशाही किसी ख़ातिर में नहीं लाती। ज़्यादा से ज़्यादा यह होता है कि किसी वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारी को अपनी वास्तविक ड्यूटी के साथ वक़्फ़ के सी.ई.ओ का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। इस तरह वक़्फ़ प्रबंधन अव्यवस्था का शिकार रहता है। इस समस्या को देखते हुए दो सुझाव दिए गए। एक यह कि वक़्फ़ क़ानून में लिखा जाए कि वक़्फ़ बोर्ड के सी.ई.ओ. राज्य सरकार में

डॉयरेक्टर के पद से कम स्तर के नहीं होंगे। इस सुझाव को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सरकार ने वक़्फ़ बिल 2010 में लिख दिया कि सी.ई.ओ. कम से कम डिप्टी सेक्रेट्री स्तर का होगा और यदि इस स्तर का कोई मुसलमान अधिकारी राज्य सरकार में न हो तो भी सी.ई.ओ. अण्डर सेक्रेट्री स्तर का तो अवश्य ही होगा। चलिए भला हो, वक़्फ़ के हक़ में मुसलमानों के हाथ कुछ तो आया।

लेकिन इस का दूसरा पहलू यह है कि जब पूरे देश में मुसलमान अधिकारी 2.5 प्रतिशत से अधिक हैं ही नहीं तो सी.ई.ओ. बनाने के लिए हर साल दर्जनों मुस्लिम अधिकारी आएंगे कहां से? इस लिए सच्चर समिति ने सुझाव दिया कि वक़्फ़ प्रबंधन के लिए एक अलग कैडर बनाया जाए जिसे इण्डियन वक़्फ़ सर्विस कहा जा सकता है। लेकिन इस सुझाव को 2007 में ही अल्पसंख्यक मंत्रालय के एक डिप्टी सेक्रेट्री ने अपने क़लम से एक वाक्य में ही रद कर दिया था। ऊपर तक इस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। फिर सरकार के इस अनुचित रवैये पर देश भर में विरोध जताया गया, जिसकी तफ़्सील **Error! Hyperlink reference not valid.** देखी जा सकती है। नतीजे में... *कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिज़वां समझा*... राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्यों ने इस सुझाव के महत्तव को समझा और अल्पसंख्यक मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा कि वक़्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग कैडर बनाया जाना चाहिए। इस पर अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कुछ तकनीकी प्रश्न उठाए जिन का जवाब अल्पसंख्यक आयोग देना वाला है। इस पत्राचार की तफ़्सील www.zakatindia.org पर देखी जा सकती है।

वक़्फ़ क़ानून में सैण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सेक्रेट्री पद के लिए अनिवार्य योग्यता तथा भारत सरकार की ब्योरोक्रेसी में उसकी श्रेणी का कोई उल्लेख नहीं है। इस वजह से सरकार में सैण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सेक्रेट्री की कोई आओभगत नहीं होती। वक़्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन में इस आधारभूत कमी को दूर करने के लिए सच्चर समिति ने सिफ़ारिश की थी कि इस पद पर कम से कम भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेट्री स्तर का अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। काबीना ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। फिर भी इस सम्बंध में सरकार की तरफ़ से अब तक कोई क़ानून नहीं बनाया गया है। सूचना के अधिकार क़ानून के अन्तर्गत जब जानकारी मांगी गयी तो मंत्रालय ने केवल यह कह दिया सेक्रेट्री की नियुक्ति का नियम सी.डब्ल्यू.सी. की नियमावली (1998) में दर्ज है। लेकिन वहां तो केवल यह लिखा हुआ [Rule 7-1] कि मंत्री महोदय जिस

मुसलमान को चाहें सेक्रेट्री बना दें। इस लिए सच्चर समिति ने कहा कि सी.डब्ल्यू.सी. का सचिव भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेट्री से कम स्तर का न हो। इस सुझाव पर भी अमल दरामद अभी बाक़ी है।

भारतीय पुरातन विभाग ए.एस.आई. को Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act (1958) के अन्तर्गत यह अधिकार है कि सौ साल से ज़्यादा पुराने किसी भी भवन को जिसे वह समझे राष्ट्रीय महत्तव का घोषित कर दे। इस अधिकार क्षेत्र से वक़्फ़ सम्पत्तियों को अलग नहीं रखा गया है। लेकिन इस तरह अधिकरण किए गए भवन अथवा स्थानों की सुरक्षा एंव उन्हें बनाए रखने की ज़िम्मेदारी भी इसी क़ानून के अन्तर्गत ए.एस.आई की ही है। जिन अधिकृत सम्पत्तियों को पूरी तरह संभाल के रखने की ज़िम्मेदारी यह विभाग नहीं निभा रहा है उनके अधिकरण से विभाग को हाथ उठा लेने चाहिएं [Section 17(b)]। इस सम्बंध में मुसलमानों को जागरूक और सचेत रहना होगा। सच्चर समिति ने सुझाव दिया कि ए.एस.आई. और सी.डब्ल्यू.सी. को इस सम्बंध में विचार विमर्श करते रहने के लिए हर तीन महीने पर एक बार संयुक्त मीटिंग करनी चाहिए। इस सुझाव को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस पर अमल करने के लिए दोनों विभागों की जो मीटिंगे हुई हैं उनकी रूदाद भी वेबसाइट www.zakatindia.org पर पढ़ी जा सकती है। कुछ तो बात आगे बढ़ी। इसे जारी रखने की ज़रूरत है। सैण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल को उन तमाम वक़्फ़ सम्पत्तियों की स्थिति के बारे में राज्य वक़्फ़ बोर्डों की सहायता से ताज़ा जानकारी प्राप्त करनी होगी जो ए.एस.आई. के पास हैं। जिन अधिकृत वक़्फ़ सम्पत्तियों की देखभाल ए.एस.आई. लम्बे समय से नहीं कर रहा है, जिसके नतीजे में उन पर ग़ैर-क़ानूनी क़ब्ज़े हो रहे है उनकी सूची हर तिमाही मीटिंग में ए.एस.आई. को थमा कर यह ज़ोर देना चाहिए कि उनकी ज़िम्मेदारी से वह मुक्त हो जाए और फिर सम्बंधित वक़्फ़ नामों के अनुसार इन सम्पत्तियों की देखभाल की व्यवस्था की जाए। एसी सम्पत्तियों को क़ानून के दायरे मे आवश्यक निर्देशों के साथ मुस्लिम समाज सेवी संगठनों के संरक्षण में भी दिया जा सकता है। सूचना के अधिकार क़ानून के अन्तर्गत प्राप्त की गयी एसी सम्पत्तियों की सूची भी वेबसाइट पर मौजूद है।

अल्लाह तआला ने रमज़ान के महीने में हम मुसलमानों के लिए हमारी मूल शरीरिक आवश्यकताओं से कुछ गिने चुने दिन के लिए हमें रुके रहने का पाबन्द कर दिया है, जिसका उद्देश्य स्वंय को पीडा पहुंचाना नहीं है बल्कि रमज़ान के रोज़े हमारे लिए एक वार्षिक व्यायाम

है। एक महीने तक रोज़े रख कर हमें अपना ध्यान शरीरिक आवश्यकताओं से हटाकर अपनी समझ व आत्मसात करने की शक्ति को विक्सित करने की तरफ़ लगाना चाहिए। आइए इस पवित्र महीने में हम अपने मानसिक दरीचों को खोलें, हम अपना जाएज़ा ले कि अपने वजूद के महत्व को हम कितना जान सके हैं, हम मिल्लत के कल्याण एंव समृद्धि के लिए अपने अपने दिमाग़ और हाथ पांव का स्तेमाल करके अपने परवरदिगार का कितना शुक्र अदा कर रहे हैं। आइए.. मौलाना जलालुद्दीन रूमी के सवाल का जवाब ढूंढेः क्या कुम्हार घडा इसी लिए बनाता है कि उसका मक़सद केवल घडा बनाना है या उसका मक़सद पानी उपलब्ध कराने के लिए साधन तैयार करना है?

हेच कूज़ागर कुण्द कूज़ा शिताब?

बहर ऐन-ए-कूज़ा, नए बर बू-ए-आब?